रेल दावा अधिकरण, नागपुर पीठ, नागपुर के समक्ष

कोरम : सुश्री आर. सत्यभामा, माननीय सदस्य (न्यायिक) रेल दावा अधिकरण,नागपुर
श्री सैयद निशात अलि, माननीय सदस्य (तकनीकी) रेल दावा अधिकरण,नागपुर

दावा आवेदन संख्या - ओए (।। यू)/ एनजीपी/33/2020
दुर्घटना की तिथि - 11.10.2019
दावा दर्ज करने की तिथि - 28.09.2019
निर्णय तिथि - 23.10.2023

वादी : 1. राजू सुपुत्र भगवान खंदारे
उम्र 35 वर्ष, व्यवसाय – कुछ नही

निवासी – वार्ड नं. 01 शास्त्री नगर,
अंध स्कुल के पीछे, पोस्ट - बोधडी
तालुका – किनवट, जिला – नांदेड – 431810

बनाम

प्रतिवादी: भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक,
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद

आवेदक की ओर से एडवोकेट एन. आर. मानकर
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट एस. दुतोंडे

निर्णय

दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को नागपुर में पारित
दावे की राशि रु.7,20,000/- + ब्याज

आवेदक श्री राजू सुपुत्र भगवान खंदारे ने अनपेक्षित दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने के कारण प्रतिवादी रेलवे के विरूद्ध रेल दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 16 के तहत इस अधिकरण में मामला दाखिल किया है और प्रतिवादी रेलवे से रु.7,20,000/- के मुआवजे की मांग की है।

1. दावा आवेदन के अनुसार दुर्घटना के मुख्य अंश :-

क. दुर्घटना की तिथि : 26.09.2019
ख. जख्मी का नाम एवं उम्र : राजू सुपुत्र भगवान खंदारे, 35 वर्ष

ग. आवेदक के जख्मों का विवरण : अनपेक्षित दुर्घटना की वजह से आवेदक का दाहिना हाथ कट गया।

घ. टिकट का विवरण : आवेदक बोधडी से नांदेड की यात्रा अनारक्षित रेल यात्रा टिकट सं. UPD 98563111 दिनांक 26.09.2019 रु. 70/- एक व्यक्ति के लिए के साथ खरीद कर रहा था जिसे दावा आवेदन के साथ रिकार्ड पर प्रस्तुत किया गया है।

ङ. ट्रेन एवं यात्रा का विवरण : दिनांक 26.09.2019 को आवेदक बोधडी से नांदेड की यात्रा ट्रेन सं. 17409 आदिलाबाद - नांदेड इंटरसिटी एक्सप्रेस से कर रहा था।

च. संक्षिप्त में घटना का विवरण : दिनांक 26.09.2019 को ट्रेन सं. 17409 के बोधडी रेलवे स्टेशन से छुटते ही चलती ट्रेन को अचानक लगे जोर के झटके के कारण आवेदक बोधडी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और इस दुर्घटना में उसका दाहिना हाथ कट गया।

छ. अधिकरण का क्षेत्राधिकार : दुर्घटना स्थल अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है।

आवेदक ने इस अनपेक्षित दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने के कारण प्रतिवादी रेलवे से रु. 7,20,000/- और ब्याज के मुआवजे की मांग की है।

2. **प्रतिवादी रेलवे के जवाब के मुख्य अंश :**

अ. प्रतिवादी रेलवे ने लिखित कथन में आवेदक के दावा आवेदन के सभी तथ्यों एवं अनपेक्षित दुर्घटना को मानने से इंकार करते हुए कहा कि आवेदक के पास ट्रेन सं. 17409 आदिलाबाद - नांदेड इंटरसिटी एक्सप्रेस में चढने का प्राधिकार नहीं था। अतः वह उक्त ट्रेन का वास्तविक यात्री नही था। आवेदक ने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया था जिसके कारण वह दुर्घटना का शिकार हो गया। यह मामला स्वयं अधिरोपित चोट की श्रेणी में आता है एवं इस दुर्घटना के लिए रेलवे किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। प्रतिवादी रेलवे ने दावा आवेदन के सभी तथ्यों को मानने से इंकार किया एवं मुआवजे का दावा आवेदन खारिज करने की मांग की।

ब. **डीआरएम रिपोर्ट का सार :-** डीआरएम रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार दावाकर्ता ने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया जिसके कारण वह स्वयं की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। घायल द्वारा किया गया उक्त कृत्य रेल अधिनियम की धारा 156 के अनुसार आपराधिक कृत्य है। रेल प्रशासन इस घटना के लिए जिम्मेदार नही है। अतः आवेदक दावा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

स. **ट्रायल के दौरान किए गए प्रतिवाद या डीआरएम रिपोर्ट से भिन्न तथ्य :- कुछ नहीं**

3. **मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किए गए मामले एवं उनका अंश :- कुछ नहीं**

4. **प्रस्तुत की गई गवाही का विवरण:-**

श्री राजु सुपुत्र भगवान खंदारे की गवाही दिनांक 19.05.2023 को ए.डब्ल्यू.1 के तौर पर पेश की गई एवं ए-1 से ए-09 के अनुसार दस्तावेज दाखिल किए गए। ए.डब्ल्यू.1 ने कहा कि उसे अंग्रेजी नही आती और उसे मराठी आती है। वह 10 तक पढ़ा है। वह शादीशुदा है और उसे 15 वर्ष की एक पुत्री है। घटना दिनांक 26.09.2019 को हुई थी। उसने रिकार्ड पर डिसएबिलिटी सर्टीफिकेट दाखिल नहीं किया है।

अधिकरण में दाखिल अपने एफिडेविट में राजु सुपुत्र भगवान खंदारे ने बताया कि दिनांक 26.09.2019 को वह सुबह 08.20 बजे बोधडी रेलवे स्टेशन पर आया और बोधडी से नांदेड की यात्रा ट्रेन सं. 17409 आदिलाबाद-नांदेड इंटरसिटी एक्सप्रेस से करने हेत बोधडी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट सं. 98563111 रु. 70/- की खरीद की थी। यात्रा हेतु वह बोधडी रेलवे स्टेशन से ट्रेन सं. 17409 आदिलाबाद-नांदेड इंटरसिटी एक्सप्रेस में चढ़ा। उक्त ट्रेन में अत्याधिक भीड़ होने के कारण वह ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े होकर यात्रा कर रहा था। उक्त ट्रेन बोधड़ी रेलवे स्टेशन से चलने लगी उसी समय ट्रेन को अचानक लगे जोर के झटके के कारण वह दुर्घटनावश चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच गिर गया जिससे उसका दाहिना हाथ कट गया। संबंधित पुलिस प्राधिकारियों ने उसे सरकारी अस्पताल बोधडी में भर्ती किया। आगे के इलाज के लिए उसे सरकारी मेडिकल अस्पताल, नागपुर में भर्ती किया गया जहां दिनांक 12.10.2019 तक उसका इलाज चलता रहा।

श्री सियाराम मीना सुपुत्र कजोराम मीना/ स्टेशन मास्टर की गवाही दिनांक 16.06.2023 को आर.डब्ल्यू.1 के तौर पर पेश की गई एवं आर-2 से आर-5 के अनुसार दस्तावेज दाखिल किए गए। आर.डब्ल्यू.1 ने कहा कि दिनांक 26.09.2019 को आवेदक ट्रेन सं. 17409 से गिरा था। घटना बाबत उसने ट्रेन सं. 17409 के गार्ड और ड्राइवर को सूचना देकर ट्रेन रोकने को कहा था। रेलवे सुरक्षा बल ने दिनांक 08.11.2020 को उसका बयान दर्ज किया था जिसमें उसने बताया था कि जख्मी चलती ट्रेन से उतरने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। स्टेशन डायरी (एक्जीबीट आर-4) में उक्त घटना का उल्लेख किया है।

5. **निर्धारित किए गए मुद्दे एवं मुद्दों पर विचार कर लिया गया निर्णय –**
दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर निर्धारित किए गए मुद्देः-

1. क्या आवेदक संबंधित तिथि को वैध यात्रा टिकट के साथ कथित ट्रेन की वास्तविक यात्री था ?

आवेदक ने बोधडी से नांदेड की यात्रा हेतु अनारक्षित टिकट सं. UPD 98563111 दिनांक 26.09.2019 रु. 70/- एक व्यक्ति के लिए खरीद किया था जिसे दावा आवेदन के साथ रिकार्ड (एक्जीबीट ए-1) पर प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी रेलवे ने आवेदक द्वारा रिकार्ड पर दाखिल टिकट को मानने से इंकार किया परंतु अपने कथन के समर्थन में प्रतिवादी रेलवे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे प्रतीत हो कि आवेदक उक्त यात्रा टिकट के साथ ट्रेन का अधिकृत यात्री नही था।

आवेदक ने बोधडी से नांदेड की यात्रा अनारक्षित टिकट सं. UPD 98563111 दिनांक 26.09.2019 रु. 70/- एक व्यक्ति के लिए को रिकार्ड (एक्जीबीट ए-1) पर प्रस्तुत किया गया है। पुलिस द्वारा बनाए गए घटना स्थल पंचनामा में घायल व्यक्ति की पैंट की जेब से उक्त रेल यात्रा टिकट जप्त होने का उल्लेख है। घटना के पश्चात तैयार किए गए घटना स्थल पंचनामा (एक्जीबिट ए-2) में जख्मी के पास से उक्त टिकट जप्त होने का उल्लेख है। जिसस स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक रेल यात्रा टिकट खरीद कर अधिकृत यात्री के नाते से यात्रा कर रहा था। डीआरएम रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षक/आदिलाबाद द्वारा उक्त रेल यात्रा टिकट का सत्यापन किया गया, जिसमें टिकट सं. UPD 98563111 दिनांक 26.09.2019 रु. 70/- एक व्यक्ति की बोधडी से नांदेड की यात्रा हेतु बोधडी रेलवे स्टेशन से दिनांक 26.09.2019 तो सुबह 08.21 जारी हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक ने रेल यात्रा टिकट खरीद की थी और वह अधिकृत यात्री के नाते से यात्रा कर रहा था। तदनुसार इस मुद्दे का निर्धारण आवेदक के पक्ष में किया जाता है।

2. क्या आवेदक ने यह साबित किया कि वह रेल अधिनियम की धारा 123 (सी) के तहत कथित तिथि को अनपेक्षित दुर्घटना में जख्मी हुआ था ?

दावा आवेदन के अनुसार दिनांक 26.09.2019 को आवेदक बोधडी से नांदेड की यात्रा ट्रेन सं. 17409 आदिलाबाद - नांदेड इंटरसिटी एक्सप्रेस से कर रहा था। ट्रेन के बोधडी रेलवे स्टेशन से छुटते ही चलती ट्रेन को अचानक लगे जोर के झटके के कारण वह बोधडी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और इस दुर्घटना में उसका दाहिना हाथ कट गया।

प्रतिवादी रेलवे का कहना है कि आवेदक ने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया था जिसके कारण वह दुर्घटना का शिकार हो गया। यह मामला स्वयं अधिरोपित चोट की श्रेणी में आता है एवं इस दुर्घटना के लिए रेलवे किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है

परंतु प्रतिवादी रेलवे के इस प्रतिवाद को स्वीकार नही किया जा सकता। उपरोक्त मामले की जांच के दौरान श्री सतीश हरी हाटकर / गार्ड से पुछताछ करने पर उन्होंने बताया कि दिनांक 26.09.2019 को उनकी ड्यूटी गार्ड के रुप में ट्रेन सं.17409 इंटरसिटी एक्सप्रेस में आदिलाबाद से नांदेड तक की थी। उक्त ट्रेन बोधडी स्टेशन पर 09.08 बजे पहुंची और 09.10 बजे आगे बढ़ना चालु हुई। तभी स्टेशन मास्टर/ बोधडी ने VHF से सूचित किया की एक व्यक्ति गाडी से गिरा है। उन्होंने तुरंत ट्रेन का प्रेशर ड्राप कर ट्रेन रोकी और घटना स्थल अटेंड किया। वहां पर यात्रियों द्वारा पीडित को प्लेटफार्म से बाहर निकाल दिया था उसका दाहिना हाथ कट गया था। उन्होंने तथा स्टेशन मास्टर द्वारा पीडित को प्रथमोपचार किया गया। वहां पर इक्कठा हुए लोगो ने बताया कि पीडित के पास टिकट है जिसका टिकट सं. 98563111 बोधडी बुजुर्ग से नांदेड का दिनांक 29.06.2019 है। उसके पश्चात ट्रेन घटनास्थल से 09.29 बजे रवाना हुई।

अधिकरण में दाखिल अपने एफिडेविट में श्री सियाराम मीना सुपुत्र कजोराम मीना ने बताया की दिनांक 26.09.2019 को उसकी ड्यूटी स्टेशन मास्टर के रुप में बोधडी बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर 08.00 बजे से 20.00 बजे तक थी। समय 9.10 बजे जब वह प्लेटफार्म सं. 01 पर

थे तब एक व्यक्ति ट्रेन सं. 17409 आदिलाबाद- नांदेड इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरने का प्रयास में चलती ट्रेन से नीचे गिर गया । उक्त घटना की सूचना उन्होंने ट्रेन के गार्ड और ड्राईवर को VHF के माध्यम से दी और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और जख्मी को प्रथमोपचार दिया । उक्त घटना की सूचना उन्होंने सेक्शन कंट्रोलर, जीआरपी, आरपीएफ/ किनवट को दिया और आवश्यक कार्रवाई हेतु जीआरपी/आरपीएफ/ किनवट को मेमो जारी किया । उक्त तिथि को ट्रेन सं. 17409 आदिलाबाद- नांदेड इंटरसिटी एक्सप्रेस में भीड नही थी और ट्रेन को झटका नही लगा था ।

डीआरएम रिपोर्ट के निष्कर्ष में पाया गया है दिनांक 26.09.2019 को गाडी सं 17409 आदिलाबाद- नांदेड इंटरसिटी एक्सप्रेस में कार्यरत लोकोपायलट, गार्ड एवं स्टेशन मास्टर / बोधडी स्टेशन के कथनानुसार ट्रेन सं 17409 आदिलाबाद- नांदेड इंटरसिटी एक्सप्रेस के बोधडी रेलवे स्टेशन से छुटने पर जख्मी ने चलती ट्रेन से नीचे उतरने का प्रयास किया जिससे वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया । प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच गिरकर उसका दाहिना हाथ कट गया ।

Hon'ble Apex Court in case of Rina Devi in Civil Appeal No. 4945 of 2018 decided on 09/05/2018 observed that unless negligence is callous and imprudent and there is an intent to harm, it cannot be termed as Self Inflicted Injury. Self-inflicted injury has been defined as an injury suffered by a person with intention to suffer harm. In this case, there is no such intent in the instant case. No cogent evidence could be adduced by the Respondent which may establish that the applicant injured due to self inflected injury or any other reasons. Thus based on above facts and other evidences placed on record, it is clearly established that the accidental fall of applicant while boarding the train was an untoward incident resulting into injuries to applicant.

यह घटना रेलवे स्टेशन परिसर में हुई है इसलिए रेलवे अपनी स्ट्रीक्ट लाइबिलिटी से बच नहीं सकती । यदि कोई अधिकृत यात्री यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से स्टेशन पर या मिड सेक्शन में गिरकर जख्मी होकर मृत या घायल हो जाए तो इसे अनपेक्षित दुर्घटना ही माना जाएगा । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 4945/2018 (Special Leave Petition (Civil) No.10223 @ D.No.6059/2018) भारत संघ बनाम रीना देवी में दिनांक 09 मई 2018 को पारित आदेश एवं दिशानिदेश के तहत चलती गाड़ी में चढ़ते समय या उतरते समय घटित घटना को अनपेक्षित दुर्घटना माना गया है ।

अतः हमारे विचार में आवेदक अनपेक्षित दुर्घटना में घायल हुआ है और रेलवे, आवेदक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है ।

अतः यह मुद्दा आवेदक के पक्ष में उत्तरित किया जाता है ।

3. राहत ?

मुद्दा क्रमांक 1 और 2 आवेदक के पक्ष में उत्तरित होने के कारण यह माना जा सकता है कि आवेदक ट्रेन का वास्तविक यात्री थी और अनपेक्षित दुर्घटना में घायल हुआ था।

आवेदक मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है । अतः इस मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता हैः-

रेलवे एक्सीडेंट व अनटुवर्ड इंसिडेंट (कंपनसेशन) नियम, 1990 के साथ संलग्न अनुसूची भाग-I के तहत निर्धारित मुआवजा राशि, जो सामान्य व सहायक नियम नं. 1165 (ई), दिनांक 22.12.2016 के अंतर्गत संशोधित की गई है तथा दिनांक 01.01.2017 से लागू है, के अनुसार आवेदक को मुआवजा प्रदान किया जा रहा है ।

आवेदक द्वारा रेकार्ड पर दाखिल किए गए प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बोधडी द्वारा जारी संदर्भ चिठ्ठी (एक्जीबीट ए-6) मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, नागपुर का डिस्जार्ज कार्ड (एक्जीबीट ए-7) और आवेदक द्वारा रिकार्ड पर दाखिल रंगीन तस्वीर (एक्जीबीट ए-9) का अवलोकन किया गया और दिनांक 19.05.2023 को अधिकरण में प्रत्यक्ष रुप से आवेदक के जख्मों का परीक्षण किया गया । जिससे ज्ञात होता है कि आवेदक का दाहिना हाथ विच्छेदन हैं । आवेदक को लगे जख्म दिनांक 01.01.2017 को संशोधित रेलवे एक्सीडेंट व अनटूवर्ड इंसिडेंट (कम्पनसेशन) नियम,1990, संशोधन नियम, 2016 की अनुसूची के तहत आते हैं । अनुसूची के भाग-III क्रमांक 1 के तहत मिलने वाली दावा राशि का विवरण निम्ननुसार हैः – क्र.1 स्कंध संधि से विच्छेदन के लिए (For amputation through shoulder joint) रु.7,20,000/- (रु. सात लाख बीस हजार मात्र) का मुआवजे का हकदार है । अतः इस मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता है ।

आदेश

यह दावा आवेदक के पक्ष में निर्णीत किया जाता है । प्रतिवादी रेलवे द्वारा आवेदक को रु.7,20,000/- (रु. सात लाख बीस हजार मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है । आवेदक को दुर्घटना की तिथि से इस आदेश की तिथि तक मुआवजा राशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है । प्रतिवादी रेलवे को आवेदक के बैंक खाते में जिसे एक्जीबिट ए-10 चिन्हित किया गया है, में मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए आदेश की तिथि से 30 दिन का समय दिया जाता है । प्रतिवादी रेलवे सावधानीपूर्वक आवेदक के उक्त दस्तावेजों के सभी तथ्यों का सत्यापन कर आवेदक को मुआवजा राशि का वितरण नीचे दिए गए निर्देशों के तहत आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर करेगा । यदि प्रतिवादी रेलवे आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदक को मुआवजा राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो आवेदक मुआवजा राशि पर इस आदेश की तिथि से भुगतान की तिथि तक 9% प्रतिवर्ष की दर से आगे का ब्याज (Future Interest) प्राप्त करने का हकदार होगा । मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार है-

आवेदक का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का वितरण	
		नकद राशि	**एन्यूटी राशि/ सावधी जमा**
राजु सुपुत्र भगवान खंदारे	रु. 7,20,000/-	रु. 72,000/- + ब्याज	रु. 6,48,000/-

प्रतिवादी रेलवे सावधानीपूर्वक आवेदक के उक्त दस्तावेजों के सभी तथ्यों का सत्यापन कर आवेदक को उनकी ब्याज सहित मुआवजा राशि का वितरण उपर दिए गए निर्देशों के तहत आवेदक के बैंक खाते में जिसे एक्जीबिट ए-10 चिन्हित किया गया है, में आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर करेगा । यदि प्रतिवादी रेलवे आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदक को मुआवजा राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो आवेदक उसकी मुआवजा राशि पर इस आदेश की तिथि से भुगतान की तिथि तक 9% प्रतिवर्ष की दर से आगे का ब्याज (Future Interest) प्राप्त करने का हकदार होगा ।

In case of the Respondent Railways are not able to deposit the amount in the applicant bank accounts due to discrepancies in the bank details received etc., as per the order of the Hon'ble Chairman, RCT, Principal Bench dated 08.09.2021, the Respondent Railways can deposit the amount in the account of Additional Registrar, RCT after giving proper intimation stating the reasons about the inability in advance to the Additional Registrar/RCT.

Further it is mandatory, that before or after depositing the amount, concerned official of the Railways shall serve a notice upon claimant and their counsel informing that amount has been deposited in the account of Additional Registrar of concerned Bench.

आवेदक को उसकी मुआवजा राशि से 10% राशि जो रु.72,000/- (रु. बहत्तर हजार मात्र) है एवं ब्याज की राशि निकालने की अनुमति दी जाती है । इस प्रकार आवेदक को मिलने वाली ब्याज सहित कुल राशि को उसके बचत बैंक खाते में जिसे एक्जीबिट ए-10 चिन्हित किया गया है, ई.सी.एस./आरटीजीएस द्वारा जमा किया जाए ।

आवेदक की शेष मुआवजा राशि रु.6,48,000/- (रु. छ लाख अडतालीस हजार मात्र) को रु.12,000/- की 54 (चौवन) समान भागों में एफ.डी. विभाजित कर आवेदक के बैंक खाते में राष्ट्रीयकृत बैंक की ब्याज अर्जित करने वाली फिक्स डिपॉजिट योजना (Annuity Scheme) में निवेश किया जाए। बैंक द्वारा प्रतिमाह एक मासिक जमा राशि + ब्याज की एक एफ.डी. को क्रमानुसार आवेदक के बैंक खाते में अंतिम एफ.डी. के भुगतान तक जमा किया जाएगा । इस तरह आवेदक को उसके मासिक खर्च हेतु मुआवजा राशि की एक एफ.डी. की ब्याज सहित परिपक्वता राशि (Amount of Maturity, including interest) अंतिम एफ.डी. के भुगतान तक प्रतिमाह प्राप्त होती रहेगी ।

प्रतिवादी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि वह जजमेंट की कॉपी और ट्रान्सफर की गई राशि का यू.टी.एस. और अन्य विवरण बैंक को अनिवार्य रूप से दे और इसकी सूचना रेल दावा अधिकरण, नागपुर पीठ को अनिवार्य रूप से दी जाए ।

प्रतिवादी रेलवे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट इस बेंच के रजिस्ट्री विभाग में जमा करेगा। प्रतिवादी रेलवे ब्याज की गणना करने की शीट सहित मुआवजा राशि जमा करने के साक्ष्य रिकार्ड पर दाखिल करेगा ।

आवेदक की ओरिजनल एफ.डी बैंक अपनी सेफ कस्टडी में रखेगा। तथापि बैंक एफ.डी.आर. संख्या, एफ.डी.आर. की राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता राशि

दर्शाने वाले संपूर्ण विवरण एवं एफ.डी. की झेरॉक्स प्रति आवेदक को प्रदान करेगा। बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इन नियत निक्षेप (FIXED DEPOSIT) पर रेल दावा अधिकरण, नागपुर की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का ऋण, अग्रिम निकासी या समय पूर्व भुगतान ना करें।

बैंक को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंक मुआवजा राशि की निकासी के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नही करेगा। यदि चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह उसे निरस्त करेगा और आवेदक की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि रेल दावा अधिकरण की अनुमति के बिना आवेदक को चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आवेदक के बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह केवल निकासी फार्म से ही बचत खातों से राशि निकालने की अनुमति प्रदान करेगा। बैंक आवेदक के बचत खातों एवं फिक्स डिपॉजिट खातों पर किसी भी प्रकार के संयुक्त खाते की अनुमति नहीं देगा।

उपरोक्त आदेशानुसार आवेदक को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है। दावा फाईल अभिलेख विभाग को सुपुर्द की जाए।

पी.एस. को डिक्टेशन दिया एवं टाइप करने के बाद सुधार कर दिनांक 23.10.2023 को खुले कोर्ट में अधिघोषित किया गया।

(सैयद निशात अलि)
सदस्य (तकनीकी)

(सुश्री आर. सत्यभामा)
सदस्य (न्यायिक)

नागपुर.
दिनांक: 23.10.2023.
#SK#